## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 111/2023

जुगलाल पुत्र खूबराम जाति नायक साकिन रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान हाल आबाद कालीबंगा तह पीलीबंगा।

प्रार्थी

बनाम

1. रणजीत पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

### –:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

| | |
|---|---|
| 1. श्री राजन्द्र कुमार पटीर | प्रार्थी |
| 2. श्री हीरा लाल बिरथलिया | अप्रार्थी संख्या 2 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी संख्या 2 |

### –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 31/01/2025

.....

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटीर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि

यह कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

यह कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यू के मु. खाता सं. 47137 के प.नं. 61/320 (16) किला नं. 16, 17, 23 ता 25, प.नं. 61/321 (27) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 25, प.नं. 62/321 (26) किला नं. 11, 12, 19 ता 22 की कुल 6.831 हैक्ट. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में 4/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 109/95 के प.नं. 61/32[illegible] 4, 3/1, 312, 3/3, 9, 12, 19, 2012, 20/3, 21/1, 21/2, 22, प.नं. [illegible]) किला नं. 11/1, 11/2, 12, 13 की कुल 2.530 हैक्ट. नहरी म[illegible] रिकार्ड है । प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:43:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि [illegible]प.नं. 61/320 के किला [illegible] 23 में प्रार्थी की ढ़ाणी बनी हुई है। जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित निवास करता है। प्रार्थी को अपनी ढ़ाणी व अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि में से चक 46 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 61/320 (16) के किला नं. 21, 22 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक्ट. यानी 2 2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पश्चिम लम्बा चालू है जिससे होता हुआ प्रार्थी अपनी कृषि भूमि व ढ़ाणी में आना जाना करता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 46 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 61/320 (16) के किला नं. 21, 22 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. यानी 2 2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है। उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थी डीएलसी दर की दौगुना राशि या रास्ता में आई भूमि की एवज में उतनी भूमि अप्रार्थी सं. 1 को देने के लिये तैयार है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 46 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 61/320 (16) के किला नं. 21, 22 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. यानी 2 2 बिस्वा रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है। जवाब प्रस्तुत हेतु अनेक अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने के कारण जवाब अप्रार्थी संख्या 1 बंद किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 2 प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 430 दिनांक 22.08.23 से प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाले समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी प.न. 61/320 (16) के कि.न. 23 में बनी ढाणी हेतु रास्ता चाहता है जिसको कोई रास्ता नहीं लगता है चूंकि प्रार्थी की भूमि संयुक्त खाता में ओर इस संयुक्त खाता के रकबा के प.न. 61/321 (27) के कि.न. 20 व 21 में 20/2, 21/2 प्रत्येक में 0.025 है. गै. मु. रास्ता लगता है जो कि प्रार्थी की ढाणी से लगभग 6 बीघा (300 मी.) दूरी पर है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का ढाणी हेतु कोई रास्ता नहीं है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

## –आदेश–

बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि को रास्ता लगता है। लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता आत्यंतिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 31/01/25 सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.04 13:43:05 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी एवम
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगाच